

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
डा० सुदामा प्रसाद विद्यास्थली,  
शाहजहाँपुर।

पत्रांक:- अ०स०/मान्यता/21333-3) /2018-19 दिनांक 01-11-19

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

शासनादेश संख्या-418/79-6-2013-18 एस०(07) शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के क्रम में आपके तारीख के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण की प्रति निर्देश से, मैं प्रबन्धक, डा० सुदामा प्रसाद विद्यास्थली, शाहजहाँपुर को तारीख 01.04.2019 से तारीख 31.03.2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा एन०सी (NC) से कक्षा आठ (08) तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिये कोई बाध्यता नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय का एक प्रथक बैंक खाता रहेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क को संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आय का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 10 के उपबन्ध का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
7. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे निस्कासित नहीं किया जायेगा।
8. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
9. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
10. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
11. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
12. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथाकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और है कि विधिमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
13. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है-और
14. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों को नियोजित नहीं करेंगे।
15. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

16. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं:-  
 विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल  
 कुल निर्मित क्षेत्र  
 क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल  
 कक्षाओं की संख्या  
 प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डारण कक्ष  
 बालक और बालिकाओं के लिये प्रथक शौचालय  
 पेयजल की सुविधा  
 मिड डे मील पकाने के लिये रसोई  
 बाधारहित पहुँच  
 अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता
17. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।
18. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के कलये किया जाता है।
19. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त क्रिया विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
20. स्कूल को किसी व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
21. विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथ्य लेखा विवरण के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
22. आपके विद्यालय को आवंटित कोड संख्याक है। कृपया इसे नोट करलें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।
23. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी करने के लिये जारी किये जायें।
24. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।
25. विद्यालय में अग्निशमन यंत्र व विद्यालय भवन मानक अनुसार होना चाहिये।  
 शिक्षा संहिता में उल्लिखित नियमों एवं विभागीय शासनादेशों में दिये गये आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करने पर तथा अभिलेखों आदि में कोई तथ्य छिपाया/कूट रचित पाया गया तो उक्त विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।

भवदीय,

( राकेश कुमार )

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
 शाहजहाँपुर।

पृष्ठांकन संख्या:- अ0स0/मान्यता/ /2018-19 तद् दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-शाहजहाँपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
 शाहजहाँपुर।